रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 1971/अग्रहायण 17, 1893

No. 219] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 1971/AGRAHAYANA 17, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Grih Mantralaya)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December 1971

G.S.R. 1847.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), as modified by sub-section (5) of section 6 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Civil Defence Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Civil Defence (Amendment) Rules, 1971.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and shall remain in force during the continuance in force of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971).

2. In the Civil Defence Rules, 1968, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—

"20. *Penalties.*—If any person contravenes any of the provisions of these rules or any order made thereunder, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both".

[No. 10/2/71-DGCD(CD).]

B. R. PATEL, Jt Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1847.—भारत सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 6 की उपधारा 5 द्वारा यथा संशोधित नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है,

1 (1) ये नियम नागरिक सुरक्षा (संशोधन) नियम, 1971 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे, और भारत सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) लागू रहने की अवधि में लागू रहेंगे।

2. नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 में, नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"20 **दंड व्यवस्था**.—यदि कोई व्यक्ति इन नियमों अथवा इनके अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माने अथवा इन दोनों का दंड दिया जा सकेगा।"

[संख्या 10/2/71—डी०जी०सी०डी० (सी०डी०)]

बी० आर० पटेल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971